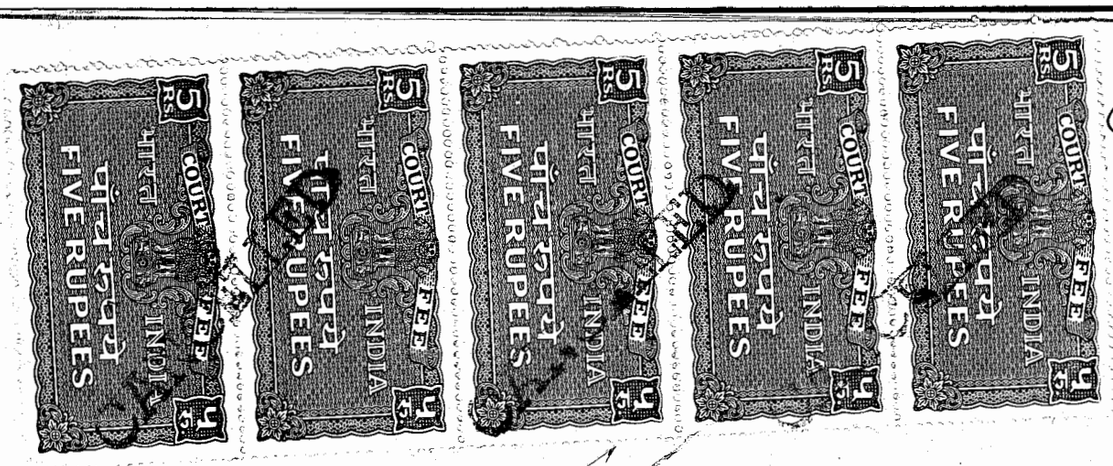

(3)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BILASPUR

Writ Petition No. 589 /2002

PETITIONER : Madanlal Bhandari,
Aged about 78 years
S/o Late Shri R.R.Bhandari,
R/o Link Road,
Bilaspur(C.G.)

P. R. No. 597/02
Presented by Shri S.K.Shrivastava
dated 18.10.2002

- Versus-

RESPONDENTS : 1. State of Chhattisgarh,
Though Secretary,
Department of Local Self
Government, Mantralay,
Shastri Chowk,
Raipur.

2. Municipal Corporation Bilaspur,
Through, Commissioner,
Municipal Corporation,
Bilaspur (C.G.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226/227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA FOR ISSUANCE OF A WRIT IN THE NATURE OF MANDAMUS, PROHIBITION, CERTIORARI ETC.OR ANY OTHER DIRECTION OR ORDER TO DO JUSTICE IN THE MATTER.

(42)

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक WP 589/02 सन् 200

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

DB: HON'BLE SHRI K.H.N. KURANGA, CJ &
HON'BLE SHRI P.C. NAIK, J

21/08/2002: -

Shri Prashant Jaiswal, counsel for the petitioner.

Shri Sanjay K. Agrawal, Dy. Advocate General, for the State/respondents.

The parties have filed the compromise petition (I.A. No.4582 of 2002) in L.P.A. No. 16/2002. The compromise deed filed in the L.P.A. reads as under:

"समझौता पत्र

सीपत चौक बिलासपुर स्थित भंडारी काम्पलेक्स जो कि जमीन मौजा सरकंडा प. ह. नं. –20 रा. नि. मं. बिलासपुर विकास खंड बिल्हा तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि ख. नं. – 737/5 रकबा 0.11 एकड पर निर्मित है के संबंध में एक समझौता बैठक आज दिनांक 6–7–2002 को माननीय अपर कलेक्टर बिलासपुर डा. एस. के. राजू की मध्यस्थता में संपन्न हुई ।

इस बैठक में यह समझौता हुआ है कि श्री मदन भंडारी अपने काम्पलेक्स में बनी दुकानों में बने शटर के सामने का 4 फुट चौडा जो चबूतरा निर्मित है उसे अपनी स्वेच्छा से जनहित में नाली निर्माण हेतु खुद हटाने हेतु तैयार हैं, जिसके एवज में नगर निगम बिलासपुर एवं लोक निर्माण विभागे एवं जिला प्रशासन की ओर से यह आश्वस्त किया गया है कि चबूतरा हटाए जाने के पश्चात् शेष निर्माण पर भविष्य में जिला प्रशासन, नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है एवं सीमांकन के संबंध में भी कोई विवाद नहीं रहेगा ।

इस समझौता बैठक में माननीय अपर कलेक्टर डा. एस. के. राजू, तहसीलदार श्री अरविन्द दीक्षित, कार्यपालन यंत्री (लोक निर्माण विभाग) श्री

[पीछे देखिये

(43)

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक ..... सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	एस. के. शर्मा, कार्यपालन यंत्री (नगर पालिक निगम) श्री सुधीर गुप्ता, श्री अशोक अग्रवाल पार्षद नगर निगम बिलासपुर, श्री मदन भंडारी, श्री मनोज भंडारी एवं श्री अनन्त बाजपेई अधिवक्ता उपस्थित रहे । उक्त समझौता बैठक में श्री मदन भंडारी, श्री मनोज भंडारी ने अपनी ओर से प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 589/2002 एवं एल. पी. ए. याचिका क्रमांक 16/2002 को वापस लेने की वचनबद्धता जाहिर की है । समझौता बैठक में सभी पक्ष सहमत होकर अधोहस्ताक्षर किये ।" **The compromise is recorded.** **In view of this compromise as above, the petition is disposed of.** **Sd/-** **Chief Justice** **Sd/-** **P.C. Naik** **Judge** Brajesh/-	

[पीछे देखिये